उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 02/06/2001 को पूर्वान्ह 10:30 बजे कुलपति कक्ष में होने वाली योजना बोर्ड के बैठक की कार्यसूची :

1. बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 30/09/2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि (प्रतिलिपि संलग्न है)।

2. द्विवर्षीय स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।

   नोटः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के उपरान्त त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पी.जी. कक्षाओं में प्रवेश अनुमन्य है। दो वर्षीय डिग्री कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स या रेमेडियल कोर्स की व्यवस्था पहले थी जो अब समाप्त हो गई है। उपरोक्त स्थिति में दो वर्षीय डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पी.जी. में प्रवेश का प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। किन्तु कार्यपरिषद ने अपने संकल्प संख्या 9 दिनांक 29/04/2001 के अन्तर्गत इस प्रकरण को योजना बोर्ड के विचारार्थ संदर्भित किया है।

3. स्नातक स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।

   नोट : स्नातक स्तर पर कला संकाय में समान पाठ्यक्रम सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15/07/2000 को सम्पन्न कुलपति सम्मेलन में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु शासन का पत्र संख्या 1560(i)सत्तर-1-2000-15(7)2000 दिनांक 29/08/2000 प्राप्त हुआ है। शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों का आदान-प्रदान करके सामान्यतः प्रत्येक विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर कला संकाय में समान पाठ्यक्रम लागू करे। सूच्य है कि इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद ने अपने संकल्प संख्या 14 दिनांक 29/04/2001 के अन्तर्गत इस प्रकरण को योजना बोर्ड के विचारार्थ संदर्भित किया है। अतः विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. स्नातकोत्तर स्तर की सम्पर्क कक्षाओं के शिक्षकों को मानदेय निर्धारित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।

   नोट : स्नातक स्तर की सम्पर्क कक्षाओं के लिए 100/- प्रति घंटा की दर से भुगतान किया जाता है। चूंकि विश्वविद्यालय में अब पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम भी संचालित होने लगे हैं, इसलिए पी.जी. डिग्री कोर्स की सम्पर्क कक्षाओं के शिक्षकों को मानदेय भुगतान की दर निर्धारित किया जाना है।

5. पाठ्य-सामग्री लेखन, सम्पादन एवं अन्य समतुल्य कार्यों के लिए पारिश्रमिक की दर निर्धारित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।

6. डिप्लोमा कोर्स फार डायटीशियन्स एण्ड न्यूट्रीशनिस्ट्स का नाम परिवर्तन कर डायटीटिक्स एण्ड न्यूट्रीशन करने पर विचार।

7. बी.सी.ए. की कक्षाएं प्रारम्भ करने तथा बैचेलर आफ कम्प्यूटिंग एण्ड ई-कामर्स के छात्रों को बी.सी.ए. में स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कुलपति के आदेश का अनुमोदन।

8. कोर्स समन्वयक की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार।

9. परिसीमन समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक के भुगतान की दर निर्धारण सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।

   नोट : इस विश्विद्यालय में शैक्षणिक वर्ग में कोई नियुक्ति नहीं है इसलिए परिसीमन कार्य हेतु वाह्य विशेषज्ञों का सहयोग लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अतः ऐसे विषय विशेषज्ञों को उचित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है।

अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

दिनांक 30/09/2000 को पूर्वान्ह 10:00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई योजना बोर्ड के बैठक का कार्यवृत्त -

उपस्थिति :

1.	प्रो. नीतीश कुमार सान्याल (कुलपति)	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. पन्त	सदस्य
3.	प्रो. यू.पी. सिंह	सदस्य
4.	प्रो. टी. पति	सदस्य
5.	प्रो. भीमसेन सारस्वत	सदस्य
6.	प्रो. अमर सिंह	सदस्य
7.	डॉ. (श्रीमती) नजमा अख्तर	सदस्य
8.	डॉ. ए.के. सिंह (कुलसचिव)	सचिव

1. बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 20/05/2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. बोर्ड ने निम्नलिखित विषयों में "मास्टर आफ आर्ट्स" की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया :-

(i) हिन्दी
(ii) समाजशास्त्र
(iii) राजनीति विज्ञान
(iv) प्राचीन भारतीय इतिहास
(v) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास
(vi) अर्थशास्त्र
(vii) अंग्रेजी

निश्चय किया कि Hindi, Sociology, Political Science, Ancient History, Medieval and Modern History, Economics, English विषयों में एम.ए. की उपाधि हेतु सत्र 2001 से पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कार्यपरिषद् को संस्तुत किया जाए। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में जनवरी 2001 से प्रारम्भ हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

3. बोर्ड ने सत्र जनवरी 2001 से डिप्लोमा स्तर के कुछ नए पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार किया।

निश्चय किया कि डिप्लोमा स्तर के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को सत्र 2001 से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद को संस्तुत किया जाए :

(i) शैक्षणिक प्रबन्धन में पी.जी. डिप्लोमा
(ii) डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल टेक्नीशियन
(iii) डिप्लोमा कोर्स इन डाईटीशियन्स एण्ड न्यूट्रीशनिस्ट्स
(iv) डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (बंगाली)
(v) डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (मराठी)
(vi) डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (तमिल)
(vii) डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (उर्दू)
(viii) डिप्लोमा इन संस्कृत
(ix) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एडेड डिजाइनिंग

4. बोर्ड ने जनवरी 2001 सत्र से प्रारम्भ किए जाने वाले नए पाठ्यक्रमों के लिए कोर्स शुल्क के निर्धारण पर विचार किया।

निश्चय किया कि जनवरी 2001 सत्र से प्रारम्भ किए जाने वाले निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों के लिए उनके आगे अंकित शुल्क निर्धारित किया जाए तथा उसे अनुमोदित करने हेतु कार्यपरिषद को संस्तुत किया जाए एवं कार्यपरिषद के संकल्प संख्या 10 दिनांक 27/07/2000 के आधार पर जनवरी 2001 से कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

(i)	मास्टर आफ आर्ट्स	3500/- प्रति वर्ष
(ii)	बैचलर आफ साइन्स	3000/- प्रति वर्ष
(iii)	बैचलर आफ कम्प्यूटिंग एण्ड ई-कामर्स	6000/- प्रति वर्ष
(iv)	बैचेलर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	6000/- प्रति वर्ष
(v)	शैक्षणिक प्रबन्धन में पी.जी. डिप्लोमा	4500/- प्रति वर्ष
(vi)	डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल टेक्नीशियन	2500/- प्रति वर्ष
(vii)	डिप्लोमा कोर्स इन डायटीशियन्स एण्ड न्यूट्रीशनिस्ट्स	2500/- प्रति वर्ष
(viii)	डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (बंगाली)	2500/- प्रति वर्ष
(ix)	डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (मराठी)	2500/- प्रति वर्ष
(x)	डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (तमिल)	2500/- प्रति वर्ष
(xi)	डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (उर्दू)	2500/- प्रति वर्ष
(xii)	डिप्लोमा इन संस्कृत	2500/- प्रति वर्ष
(xiii)	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एडेड डिजाइनिंग	8500/- प्रति वर्ष

5. बोर्ड ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन हेतु विनियम बनाने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया।

निश्चय किया कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक विनियम बनाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाए।

6. बोर्ड ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं से सम्बद्ध विभिन्न कार्यों हेतु पारिश्रमिक की दरों को निर्धारित करने सम्बन्धी विषय पर विचार किया।

बोर्ड ने यह अभिमत प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य स्तर पर स्थापित मुक्त विश्वविद्यालयों में लागू दरों को दृष्टिगत करते हुए इस विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बद्ध विभिन्न कार्यों हेतु पारिश्रमिक की दरों को प्रस्तावित किया जाए तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाए।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

कुलसचिव